2019/00444

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **83/2019** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया RACPC, कैलाश टावर, गांधी नगर, जयपु।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रिषी जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन
2. श्रीमती भारती जैन पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जैन

निवासी ए–60 खादी कालोनी, हटवाडा रोड, शिव मन्दिर, सोडाला, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–बैक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 4.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 07.09.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती भारती चौधरी के स्वामित्व की सम्पत्ति ए–60 खादी कालोनी, हटवाडा रोड, शिव मन्दिर, सोडाला, जयपुर क्षेत्रफल 141.66 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल रूपये 16,92,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16 .10.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हैं। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. अप्रार्थी अधिवक्ता ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा है, किन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी को समय दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.10.201854 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है।

अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड / ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से श्रीमती भारती चौधरी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति ए–60 खादी कालोनी, हटवाडा रोड, शिव मन्दिर, सोडाला, जयपुर क्षेत्रफल 141.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

5. आदेश आज दिनांक 4.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर